मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)

प्रशासन अनुभाग

सं.मानू/प्रशासन/एफ.102/2020-21/1146 **दिनांक: 18 जून, 2021**

<u>कार्यालय आदेश</u>

विषय: *मानू-प्रशासन-कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए किए जाने वाले निवारक उपाय-केन्द्र सरकार के अधिकारियों की उपस्थिति के संबंध में।*

संदर्भ: *1. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं.11013/9/2014-स्थापना-क-III, दिनांक 14 जून, 2021*

2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं.11.013/9/2014-स्थापना-क-III, दिनांक 28 मई, 2021

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं.11.013/9/2014-स्थापना-क-III, दिनांक 06 मई, 2021

4. दिनांक.16.06.2021 को प्रभारी कुलपति द्वारा अनुमोदित।

* * *

उद्धृत संदर्भ के अंतर्गत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से, केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में कोविड-19 के कड़ाई से अनुपालन के लिए निम्नलिखित निर्देश, दिशानिर्देश जारी किए हैं। अतः सभी अधिकारी निम्नानुसार दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे:

1. वर्ग 'बी' और वर्ग 'सी' स्तर के कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति वास्तविक संख्या के 50% तक सीमित की जाती है तथा शेष 50% कर्मचारियों को घर से कार्य करने की सलाह दी जा सकती है। जो कर्मचारी किसी विशेष दिन कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाए, उन्हें टेलीफोन एवं इलेक्ट्रॉनिक संचार पर उपलब्ध होंगे और घर से कार्य कर सकते हैं। उप कुलसचिव और समकक्ष तथा उपरोक्त वर्ग एवं सहायक कुलसचिवों को नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होना है।
2. दिव्यांगजन तथा गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय आने की छूट दी जा सकती है, परन्तु घर से कार्य निरंतर जारी रहेगा, अतिरिक्त आदेश आने तक।
3. अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालयों/कार्यस्थलों में भीड़भाड़ से बचने के लिए विभागों के प्रमुखों द्वारा निर्धारित समय का पालन करना होगा।
4. नियंत्रण क्षेत्र में रहने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को तब तक कार्यालयों में आने से छूट दी जाएगी जब तक कि नियंत्रण क्षेत्र को विमुक्त घोषित नहीं कर दिया जाता। नियंत्रण क्षेत्र में रहने वाले इन अधिकारियों/कर्मचारियों को तब तक कार्यालय नहीं आना है जब तक कि इसे गैर नियंत्रण क्षेत्र घोषित नहीं कर दिया जाता। इन अधिकारियों / कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी जा सकती है, लेकिन वे घर से कार्य करना जारी रखेंगे, और हर समय टेलीफोन और संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे।

5. कार्यालय में आने वाले सभी अधिकारियों को मास्क पहनने, भौतिक दूरी बनाने, सैनिटाइज़र का उपयोग करने और हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोने सहित कोविड-उचित व्यवहार का कड़ाई से पालन करना होगा।
6. लिफ्ट, सीढ़ियों, गलियारों, जलपान कियोस्क और पार्किंग क्षेत्रों सहित आम क्षेत्रों में भीड़ से सख़्ती से बचे।
7. जहां तक संभव हो, बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जानी चाहिए तथा आगंतुकों के साथ व्यक्तिगत बैठकें, जब तक कि जनहित में बिल्कुल आवश्यक न हो, से बचना चाहिए।
8. विशेष रूप से बार-बार छुए जाने वाली सतहों सहित कार्य-स्थल की उचित सफाई और नियमित स्वच्छता सुनिश्चित की जाए।
9. अगले आदेश तक बायोमेट्रिक उपस्थित निलंबित रहेगी।

ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा दिनांक 30.06.2021 तक प्रभावी रहेंगे।

18-6-21
प्रभारी कुलसचिव

सेवा में

मुख्यालय के सभी अध्ययन संकायों के संकायाध्यक्ष/ विभागों के विभागाध्यक्ष/ केन्द्रों एवं निदेशालय के निदेशक/ प्रधानाचार्य/ प्रभारी/ केन्द्रीय पुस्तकालय एवं अनुभाग के अध्यक्ष (शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक) एवं सैटलाइट कैम्पस, क्षेत्रीय केन्द्रों, उप-क्षेत्रीय केन्द्रों, संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण(डीएसडब्ल्यू), कुलानुशासक एवं प्रभारी सुरक्षा, प्रोवोस्ट(बालक एवं बालिका)

प्रतिः

1.कुलपति / कुलसचिव / वित्त अधिकारी कार्यालय
2.निदेशक, सीआईटी विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
3.संबंधित फाइल